



सामाजिक अधिकारिता शिविर

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में **ADIP (द्वियांग व्यक्तियों को सहायता) योजना के तहत 9000 से अधिक पूर्व-बहिनि द्वियांगजन** लाभार्थियों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिये संपूर्ण भारत में 75 स्थानों पर **सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया था।**

सामाजिक अधिकारिता शिविर क्या है?

परिचय:

- सामाजिक अधिकारिता शिविर (सामाजिक अधिकारिता शिविर) विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिये आयोजित वितरण शिविरों की एक शृंखला है। यह वर्ष 1981 से संचालित है।

आयोजक:

- इसका आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग (DEPWD) द्वारा **ALIMCO (कृत्रिम अंग निर्माण नगिम)** और ज़िला प्रशासन के सहयोग से किया जाता है।

परिभाषा:

- यह योजना द्वियांगजन अधिकार अधिनियम 2016** में दी गई विभिन्न प्रकार की द्वियांगताओं की परिभाषाओं का अनुसरण करती है।

अनुदान:

- ADIP योजना के अंतर्गत सहायता उपकरणों की खरीद और वितरण के लिये विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों **ALIMCO, राष्ट्रीय संस्थान, समग्र क्षेत्रीय केंद्र, ज़िला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, राज्य विकलांग विकास नगिम, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)** आदि को अनुदान जारी किया जाता है।

द्वियांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये सहायता योजना (ADIP योजना)

- ADIP योजना विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास के लिये आधुनिक सहायता और उपकरण प्रदान करके सहायता करती है।
- इसमें सहायक उपकरण प्रदान करने से पहले **सुधारात्मक सर्जरी हेतु सहायता शामिल है।**
- इसे अंतिम बार अप्रैल 2024 में अद्यतन किया गया था, जो **मार्च 2026 तक जारी रहेगा।**

द्वियांगजनों के लिये अन्य संबंधित पहल:

- [सुगम्य भारत अभियान: द्वियांगजनों के लिये सुगम्य वातावरण का सृजन](#)
- [दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना](#)
- [विकलांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फेलोशिप](#)
- [वशिष्ट विकलांगता पहचान परियोजना](#)
- [अंतरराष्ट्रीय विकलांग दविस](#)

मानसिक स्वास्थ्य के लिये पहल:

- [राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम](#)
- [करिण: मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेलपलाइन।](#)

और पढ़ें: [अंतरराष्ट्रीय वकिलांग दविस - दृष्टिआईएस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/samajik-adhikarita-shivirs>

